रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED NO. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 1980/पौष 24, 1901

No. 6] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 1980/PAUSA 24, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1980

पत्तन

सा० का० नि० 7(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 8 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त यों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश का नाम कांडला पत्तन मार्गदर्शन (फीस) आदेश, 1979 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. कांडला पत्तन (फीस) आदेश, 1975 में, नियम 6 के स्थान पर, लिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'6 पत्तन की कर्षनावों (टगों) के उपयोग के लिए फीस

यदि किसी कर्षनाव (टग) का उपयोग, मार्गदर्शन किए जाने वाले यान के बर्थ में लाए जाने या बर्थ से हटाए जाने या स्थानान्तरण के ए बन्दरगाह में हाजिर रहने या खींचने या धकेलने के लिए किया है तो मार्गदर्शन फीस या स्थानान्तरण प्रभार के अतिरिक्त निम्नलिखित फीस प्रभारित की जाएगी। ऐसे प्रभार उस दशा में उद्गृहीत नही किए जाएंगे जब कर्षनाव (टग) का उपयोग पत्तन की अपनी सुविधा के लिए किया जाता है या जब कर्षनाव का उपयोग 3000 टन तक के स्थोरा को जो प्रपुंज द्रव स्थोरा नहीं है, लादने या उतारने वाले जलयानों को स्थानान्तरित करने के लिए किया जाता है।

वर्गीकरण	तटीय (रुपए)	विदेशी (रुपए)
(1)	(2)	(3)
(i) 20000 जी० आर० टी० और उससे कम के जलयान . . .	2,500	4,000
(ii) 20001 जी० आर० टी० से 40000 जी० आर० टी० के जलयान	5,000	8,000
(iii) 40001 जी० आर० टी० से 60000 जी० आर० टी० तक के जलयान	7,500	12,000
(iv) 60001 जी० आर० टी० से 80000 जी० आर० टी० तक के जलयान	10,000	16,000
(v) 80001 जी० आर० टी० से 10,0000 जी० आर० टी० तक के जलयान	12,500	20,000
(vi) 10,0001 जी० आर० टी० और उससे अधिक के जलयान	15,000	24,000

(2) मार्गदर्शन के दौरान पहुंच चैनल में किसी भाराधीन जलयान की देखरेख के लिए (यदि ऐसी देखरेख उप संरक्षक द्वारा आवश्यक समझी जाती है) तो ऐसी फीस निम्नलिखित रूप में प्रभारित की जाएगी किन्तु यदि कर्षनाव का उपयोग जलयान को खींचने या धकेलने के लिए किया जाता है तो भाराधीन तटीय जलयान के लिए 525 रुपए और विदेशी जलयान के लिए 825 रुपए की अतरिक्त फीस उद्ग्रहीत की जाएगी :

	तटीय (रुपए)	विदेशी (रुपए)
1	2	3
(i) 20000 जी० आर० टी० और उससे कम के जलयान . . .	1,055	1,665
(ii) 20001 जी० आर० टी० से 40000 जी० आर० टी० तक के जलयान .	2,110	3,376
(iii) 40001 जी० आर० टी० से 60000 जी० आर० टी० तक के जलयान .	3,165	5,064
(iv) 60001 जी० आर० टी० से 80000 जी० आर० टी० तक के जलयान .	4,220	6,752
(v) 80001 जी० आर० टी० से 10,000 जी० आर० टी० तक के जलयान	5,275	8,440
(vi) 100001 जी० आर० टी० और उससे अधिक के जलयान . .	6,330	10,128

(3) कांडला पत्तन की मार्ग-दर्शन सीमाओं के भीतर किसी जलयान के नौकार्षण के लिए प्रति कर्षनाव के उपयोग के लिए, निम्नलिखित दर पर फीस उद्ग्रहीत की जाएगी, :

	तटीय (रुपए)	विदेशी (रुपए)
(1)	(2)	(3)
(i) 3000 जी० आर० टी० तक के जलयान	3,520	5,540
(ii) 3001 से 10,000 जी० आर० टी० तक के जलयान . .	4,500	7,100
(iii) 100001 से 20000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	6,000	9,450
(iv) 20001 से 40000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	12,000	19,200
(v) 40001 से 60000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	18,000	28,800
(vi) 60001 से 80000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	24,000	38,400
(vii) 80001 से 100000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	30,000	48,000
(viii) 100001 जी० आर० टी० और उससे अधिक के जलयान . .	36,000	57,600

(4) मौसम की खराबी, कर्मीदल के अभित्यजन या ऐसे अन्य कारणों से जो मास्टर के नियंत्रण से परे हैं, भिन्न किसी कारण से बर्थ में लाने या बर्थ से हटाने या लंगर डालने, लंगर खोलने या स्थानान्तरण के दौरान आधे घंटे से अधिक के लिए रोके जाने के लिए प्रतिघंटा या उसके किसी भाग के लिए, कर्षनाव द्वारा की गई सेवा के लिए उद्ग्रहीत किए जाने वाले प्रभारों के अतिरिक्त निम्नलिखित दरों पर फीस प्रभारित जाएगी :

	तटीय (रुपए)	विदेशी (रुपए)
(1)	(2)	(3)
(i) 20000 जी० आर० टी० के जलयान	1,055	1,66
(ii) 20001 जी० आर० टी० और उससे अधिक के जलयान . . .	4,000	6,400

(5) यदि किसी कर्षनाव को किसी जलयान को कर्षित करने का आदेश किया जाता है और यदि विशेष रूप से भाप उठाने के पश्चात् किन्तु उस प्रयोजन के लिए लंगर-स्थान छोड़ने से पूर्व, उसे सूचित किया जता है कि उसकी सेवाएं अपेक्षित नहीं हैं तो तटीय जलयान के लिए 1055 रुपए और विदेशी जलयान के लिए 1065 रुपए प्रभार के रूप में उद्ग्रहीत किए जाएंगे।

(6) यदि किसी कर्षनाव की स्थानान्तरण, बर्थ में लाने या बर्थ से हटाने से भिन्न प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाती है तो कर्षनाव के उपयोग के लिए प्रति घंटे या उसके किसी भाग के लिए, निम्नलिखित दर पर फीस उद्ग्रहीत की जाएगी :

	तटवर्ती (रुपए)	विदेशी (रुपए)
(1)	(2)	(3)
(i) 20000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	1,055	1,665
(ii) 20001 से 40000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	2,110	3,37.
(iii) 40001 से 60000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	3,165	5,06
(iv) 60001 से 80000 जी० आर० टी० तक के जलयान . . .	4,220	6,752
(v) 80001 से 1,00,000 जी० आर० टी० तक के जलयान . .	5,275	8,44(
(vi) 1,00,000 जी० आर० टी० और उससे अधिक के जलयान . .	6,330	10,128

स्पष्टीकरण :—उपखण्ड (6) के प्रयोजनों के लिए, देखरेख में लगे समय की गणना, उस समय से, जब कर्षनाव अपना लंगर खोलती है, उस समय तक की जाएगी, जब वह अपना लंगर पुनः डालती है और उसके प्रयोग के लिए उतने समय की गणना की जाएगी जितने के दौरान उसका वास्तव में उपयोग किया जाता है।

(7) जब कोई जलयान पहुंच चैनल में भाराधीन है और उसकी देखरेख कर्षनाव द्वारा की जा रही है और जलयान के इंजन में खराबी के कारण या उसके भूमि में फंस जाने के कारण कर्षनाव को रुकना पड़ता है तो कर्षनाव के लिए फीस उपखण्ड (2) या उपखण्ड (3) या उपखण्ड (6) के अधीन, जिसके अधीन अधिक है, उद्ग्रहीत की जाएगी।

[फा० सं० पी० जी० आर० –65/79

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 1980

PORTS

G. S. R. 7 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby amends the Kandla Port Pilotage (Fees), Order, 1975, as follows, namely :—

1. (1) This Order may be called the Kandla Port Pilotage (Fees) Amendment Order. 1980.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Kandla Port Pilotage (Fees) Order, 1975, for rule 6, the following shall be substituted, namely:—

"6. Fees for use of Port's tug.

(1) If a tug is used for attendance or pulling or pushing of a vessel in harbour for berthing, unberthing or shifting of the vassel to be piloted, fees as under will be charged in addition to pilotage fees or shifting charges. No such charges will be levied when the tug is utilised to suit the convenience of the port or when the tug is utilised for shifting vessels loading or unloading upto 3000 tonnes of cargo, not being liquid cargo in bulk.

Classification	Coastal	Foreign
	Rs.	Rs.
(i) Vessels of 20000 GRT and under	2,500	4,000
(ii) Vessels 20001 GRT to 40000 GRT	5,000	8,000
(iii) Vessels 40001 GRT to 60000 GRT	7,500	12,000
(iv) Vessels 60001 GRT to 80000 GRT	10,000	16,000
(v) Vessels 80001 GRT to 100000 GRT	12,500	20,000
(vi) Vessels 100001 GRT and above	15,000	24,000

(2) For attending a vessel under weigh in the approach channel during pilotage (if such attendance is considered necessary by the Deputy Conservator) fees as under will be charged for such attendance. If, however, the tug is used for pushing or pulling an additional fee of Rs. 525/- for coastal vessel and Rs. 825/- for foreign vessel shall be levied for a vessel under weight :—

	Coastal	Foreign
	Rs.	Rs.
(i) Vessels of 20000 GRT and under	1,055	1,665
(ii) Vessels of 20001 to 40000 GRT	2,110	3,376
(iii) Vessels of 40001 to 60000 GRT	3,165	5,064
(iv) Vessels of 60001 to 80000 GRT	4,220	6,752
(v) Vessels of 80001 to 100000 GRT	5,275	8,440
(vi) Vessels of 100001 GRT and above	6,330	10,128

(3) For towing a vessel in the pilotage limits of Kandla Port fees as under will be levied for use per tug.

	Rs.	Rs.
(i) Vessels upto 3000 GRT	3,520	5,540
(ii) Vessels 3001 to 10000 GRT	4,500	7,100
(iii) Vessels 10001 to 20000 GRT	6,000	9,450
(iv) Vessels 20001 to 40000 GRT	12,000	19,200
(v) Vessels 40001 to 60000 GRT	18,000	28,000
(vi) Vessels 60001 to 80000 GRT	24,000	34,400
(vii) Vessels 80001 to 100000 GRT	30,000	48,000
(viii) Vessels 100001 GRT and above	36,000	57,600

(4) For detention of a tug during berthing, unberthing or mooring, unmooring or shifting, for more than half an hour owing to any reason except for reasons of stress of weather, desertion of crew or such other reasons beyond the control of the Master, fees as under will be charged for detention per hour or part thereof in addition to the charges to be levied for the services rendered by the tug.

	Coastal	Foreign
	Rs.	Rs.
(i) Vessels upto 20000 GRT	1,055	1,665
(ii) Vessels 20001 GRT and above	4,000	6,400

(5) If a tug is ordered to tow a vessel and if after havin– specially reaised the steam but before leaving her mooring for the above purpose informed that her services are not required a charge of Rs. 1055 for coastal vessel and Rs. 1665 for foreign vessel shall be levied.

(6) If a tug is required to attend a vessel for purpose other than shifting berthing, unberthing fee as under shall be levied for use of the tug per hour or part thereof.

	Coastal	Foreign
	Rs.	Rs.
(i) Vessels upto 20000 GRT	1,055	1,665
(ii) Vessels of 20001 to 40000 GRT	2,110	3,376
(iii) Vessels of 40001 to 60000 GRT	3,165	5,064
(iv) Vessels of 60001 to 80000 GRT	4,220	6,752
(v) Vessels of 80001 to 1,00,000 GRT	5,275	8,440
(vi) Vessels of 1,00,001 GRT and above	6,330	10,128

Explanations : For the purpose of sub-clauses (6) the time taken for attendance will be counted from the time to the tug leaves her mooring to the time tug return to her mooring and for usage the actual time the tug was engaged in usage shall be taken.

(7) When a vessel is under weigh in approach channel and attended by a tug, and tug is detained due to engine trouble of the vessel or the vessel running aground the fees for the tug shall be levied under sub-clause (2) or sub-section (3) of sub-clauses (6) whichever is more."

[F. No. PGR-65/79]

आदेश

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1980

सा० का० नि० 8(अ):—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास पत्तन मार्ग दर्शन और अन्य कार्य (फीस) आदेश 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम मद्रास पत्तन मार्ग दर्शन और अन्य कार्य (फीस) संशोधन आदेश, 1980 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. उक्त आदेश की अनुसूची में मद 2 में, पैरा ग्राफ के आरम्भ में शब्दों "जलयान जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है ·····", से पहले शब्द "कोस्ट गार्ड सेवा से संबंधित जलयानों व कोई अन्य" क्रमशः स्थापित किए जाएंगे।

[फा० सं० पी० जी० आर०—39/79]

सुदर्शन वासुदेव, उप सचिव

ORDER

New Delhi, the 14 January, 1980

G. S. R. 8 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendment to amend the Port of Madras Pilotage and Other Services (Fee) Order 1975—namely :—

1. (1) This Order may be called the Port of Madras Pilotage and Other Services (Fee) Amendment Order, 1980.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Schedule to the said Order, in item 2, in the opening paragraph, before the words "Vessels, which are not registered........", the words "Vessels belonging to Coast Guard Service and any other", shall be inserted.

[F. No. PGR-39/79]

S. VASUDEV, Deputy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980